## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–202/2017 (आरसीएमएस नं. 2017/00036)**

1. श्योपाल दास पुत्र श्री प्रभूदास स्वामी उर्फ प्रभात दास स्वामी (दादूपंथी) आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम गोपीनाथपुरा उर्फ कुतकपुरा, चाकसू कस्बा वार्ड नम्बर–1, तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल निवासी गोविन्द नगर चाकसू कृषि उपज मण्डी के सामने वार्ड नम्बर 19, कस्बा चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।

**––अपीलान्ट**

**बनाम**

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. भगवानदास स्वामी आयु 70 वर्ष,
3. लक्ष्मणदास स्वामी आयु 68 वर्ष पुत्रान स्व. श्री प्रभूदास स्वामी उर्फ प्रभात दास स्वामी निवासी ग्राम कुतकपुरा, चाकसू, वार्ड नम्बर–1, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. कस्तूरी देवी स्वामी आयु 66 वर्ष पत्नी स्व. गोपीदास निवासी ग्राम अचलपुरा ग्राम पंचायत पालाला (जाटान) तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
5. रमेशदास स्वामी आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. श्री प्रभूदास स्वामी उर्फ प्रभातदास स्वामी निवासी ग्राम गुरूदयालपुरा पंचायत लावा तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान।
6. श्योनपाल उर्फ सोहनदास स्वामी, आयु 52 वर्ष,
7. मोहनदास स्वामी आयु 50 वर्ष,
8. दयाराम स्वामी आयु 48 वर्ष पुत्रान स्व. श्री प्रभूदास स्वामी उर्फ प्रभात स्वामी (दादूपंथी) निवासीगण ग्राम कुतकपुरा, कस्बा चाकसू वार्ड संख्या 1, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।
9. कौशल्या देवी स्वामी आयु 45 वर्ष, पत्नी दयाराम स्वामी निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ मूनपुरा, पंचायत कल्लावास, तहसील लालसोट जिला दौसा, राजस्थान।

**––रेस्पोडेन्ट्स**

**निर्णय**

**दिनांकः 05.03.2018**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चाकसू के आदेश दिनांक 29.05.2017 (प्रकरण संख्या 13/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कुतकपुरा तहसील चाकसू में स्थित कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 106 रकबा 0.3800 हैक्टयर, किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.2100 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.1400 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.3800 हैक्टयर किस्म बंजड–1, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.5200 हैक्टयर चाही–2, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.2500

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टयर, किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.3300 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.3500 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0300 हैक्टयर किस्म बजंड, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.9100 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 120 रकबा 00500 हैक्टयर किस्म बजंड, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.7000 हैक्टयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म बजंड–1, जो कि कुल किता 15 कुल रकबा 4.9700 हैक्टयर है जो कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068 के है, उक्त समस्त कृषि भूमियॉ प्रभूदास चेला रामसुखदास कौम स्वामी सा0 देह खातेदार की भूमियॉ स्थित है। उन्होने कथन किया है कि खातेदार प्रभूदास स्वामी को उसके गांव में रिश्तेदारी में व अन्य जान पहचान वालों मे प्रभातदास स्वामी के नाम से भी बोला जाता है तथा इस खातेदार की संतानों मे कुल 8 पुत्र व 2 पुत्रियॉ है जो अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 6, 7, व 8 पुत्रगण है एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 व 9 पुत्रियॉ है एवं इस खातेदार का एक पुत्र नेहनूदास बाल्यावस्था से ही इस खानदान के एक व्यक्ति हरनामदास वैद्य निवासी नजापुर सिटी वाले के द्वारा अपने साथ ले जाया गया था जो वही रहने लगा जो अभी भी वही मय परिवार निवासी करता है मूल खातेदार प्रभूदास उर्फ प्रभातदास का देहान्त दिनांक 22.12.2009 को ग्राम कुतकपुरा में हो गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मूल खातेदार प्रभूदास उर्फ प्रभात दास की मृत्यु के काफी वर्षो तक नामान्तरकरण उसके वारिसों के नाम इस कारण नही खुला कि वारिसों मे आपस में इस बात का विवाद चलता रहा कि नामानन्तरकरण किन–किन वारिसों के नाम खुले, यह विवाद लगातार चलता रहा, उत्तराधिकार के इस विवाद का अभी तक कोई न्यायिक निर्णय किसी न्यायालय से नही हुआ है। उन्होने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 रमेशदास ने दिनांक 20.08.2015 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चाकसू को इस बाबत पेश किया कि मृतक खातेदार प्रभातदास व मृतक केशरदेवी पत्नी स्व. प्रभातदास की विरासत का नामान्तरकरण आवेदन मय शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक शपथ पत्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार विरासत का नामान्तरकरण खोला जावें, प्रत्यर्थी संख्या 5 के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2015 पर पटवारी ने दिनांक 21.04.2017 को यह रिपोर्ट की कि मृतक के वारिसों की जानकारी सही प्राप्त नही हो रही है इसलिये प्रकरण की सुनवाई भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत वारिसान की जांच व सुनवाई कर निर्णय करवाये ताकि समय पर पालना हो सके, पटवारी की इस रिपोर्ट के बाद तहसीलदार चाकसू ने दिनांक 27.04.2017 को राजस्व लिपिक को यह आदेश दिया कि मूल प्रकरण मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है इस पर प्रकरण दर्ज हुआ, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई के सबूत पेश करने हेतु नोटिस तहसीलदार की ओर से जारी किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा की जा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रही वारिसान सम्बन्धी जांच के दौरान ही दिनांक 29.05.2017 को पटवारी हल्का करेडा खुर्द ने एक कैम्प मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है और ना ही अपीलार्थी की मौजूदगी में यह मौका रिपोर्ट तैयार हुई है इस मौका रिपोर्ट के मुताबकि मृतक खातेदार प्रभातदास उर्फ प्रभूदास के वारिसों का सजरा बनाया गया जिसमें अपीलार्थी को गलत रूप से रामदास निवासी कुतकपुरा उर्फ गोपीनाथपुरा के दत्तक चेला चला जाना दर्शा दिया और मृतक खातेदार के वारिसों में उसे शामिल नही किया गया यह मौका रिपोर्ट प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के व इसके साथ हितबद्ध रहे लोगो द्वारा अपीलार्थी के साथ दुर्भावना रखने के कारण गलत व सत्यता से परे तैयार की गई व कराई गई ताकि अपीलार्थी को वारिसों की सूची से हटाया जा सके इसलिये उक्त रिपोर्ट अवैध व दुर्भावनापूर्ण है। उन्होने आगे कथन किया है प्रत्यर्थी संख्या 7 ने फर्जी वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिका चाकसू से बनवाया और गहरे हितबद्ध व्यक्ति जिनमें एक घनश्यादास है जो प्रत्यर्थी संख्या 4 का पुत्र है, दूसरा व्यक्ति किशनलाल जाट, प्रत्यर्थी संख्या 7 का घनिष्ट मित्र है इस प्रकार घनिष्ट मित्रों व हितबद्ध व्यक्तियों के झूंठे हलफनामें तहसीलदार के समक्ष पेश किये गये, इसी प्रकार दिनांक 29.05. 2017 को प्रत्यर्थीगण संख्या 2, 3, 4, 6, 7 व 8 ने एकराय होकर शामिल में गलत जवाब पेश किया जो कि अपीलार्थी के हितों को नुकसान पहुॅचाने के लिये ही किया गया, जवाब में कोई सत्यता नही है, अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष अपना एतराज नामान्तरकरण की कार्यवाही पर रोक लगाने के बाबत पेश किया था जो रिकार्ड पर है, अपने एतराज प्रार्थना पत्र के अलावा अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में वार्ड नम्बर 5 नगर पालिका चाकसू के वार्ड पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र पेश किया, अपीलार्थी की मतदाता पहचान पत्र में पिता का नाम प्रभूदास दर्ज है, उसके आधार कार्ड में भी पिता का नाम प्रभूदास दर्ज है, कुकिंग गैस के कागजात में उसके पिता का नाम प्रभूदास दर्ज है, बैंक खाता में उसके पिता का नाम प्रभूदास है, परिवार राशनकार्ड में उसके पिता का नाम प्रभूदास है, समस्त कागजात अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष पेश किये है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे पत्रावली में शामिल नही किया गया और इन दस्तावेजात सबूतों को हटा दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, साबित नही होता है, दूसरी तरफ अपीलार्थी किसी अन्य के गोद चला गया हो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही हुआ है, केवल एकपक्षीय मौखिक कथनों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा दिनांक 29.05.2017 पारित की है, जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है। उन्होने कथन किया है कि विरासत के नामान्तरकरण बाबत विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ गया था ऐसे में प्रकरण का निर्णय सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाने की अनुशंषा करना चाहिये थी। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी का जो रिश्ता रामदास के साथ था, वही रिश्ता बाकी प्रत्यर्थीगण के साथ भी रामदास का रिश्ता रहा है, स्व. रामदास अविवाहित था और नागा साधू था जिसके मरने पर उसकी सेवा भावना व



संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदर–सत्कार कार्यो के बदले दादूपंथियों ने उसकी चादर अपीलार्थी को ओढ़ा दी जबकि अपीलार्थी की कोई चेलगी कार्यक्रम या रस्म स्व. रामदास के चेले के रूप में कभी नही हुई, इस प्रकार बिना प्रमाणों के ही तहसीलदार ने अपीलार्थी को रामदास के गोद जाना मान अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि प्रतिनिधि रमेशदास पर कल्याणदास की चादर डाली थी लेकिन इस बिन्दु का स्वयं रमेशदास व अन्य प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के प्रति दुर्भावना रखते हुये एकराय होकर इस महत्वपूर्ण बिन्दु को गौर नही किया गया जबकि उन्होने अपीलार्थी को रामदास की चादर डाले जाने के बिन्दु को अत्यधिक महत्व देते हुये अपीलाधीन निर्णय का इस बिन्दु को महत्वपूर्ण आधार ही बना दिया, प्रत्यर्थीगण की ओर से वास्तव में तो रमेश दास के विषय में यह महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है और वे स्वच्छ हाथों से व निष्पक्ष रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नही रखा है यदि अपीलार्थी के चादर दस्तूर को महत्व दिया जाता है तो उसी रूप में रमेश दास के चादर दस्तूर को भी महत्व दिया जाना चाहिये। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व नैसर्गिक एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी के पक्ष में उसके मृतक खातेदार पिता प्रभूदास स्वामी उर्फ प्रभातदास स्वामी की विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि सिविल न्यायालय से वारिसों को उत्तराधिकार के बिन्दु का निर्णय होने तक नामान्तरकरण किसी के भी पक्ष में नही खोला जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का यह कथन उचित नही है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निर्णय सिविल कोर्ट द्वारा करने की अनुशंषा करनी चाहिऐ थी क्योंकि जब प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2015 पर पटवारी ने दिनांक 21.04.17 को यह रिपोर्ट कर दी थी कि मृतक के वारिसों की जानकारी सही प्राप्त नही हो रही इसलिए प्रकरण की सुनवाई भू राजस्व अधिनियम 1956 की 135(2) के तहत वारिसान की जांच व सुनवाई की जाकर निर्णय करवाये तो प्रकरण धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम में दर्ज हुआ और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जो बिल्कुल सही है, यदि अपीलार्थी को उक्त आदेश में कोई कमिया दिख रही है तो स्वयं अपीलार्थी को सिविल न्यायालय में जाकर घोषणा करवानी चाहिये थी कि वह भी विवादित भूमि में हिस्सेदार है तथा रामदास के दत्तक नही गया है जबकि नगर पालिका चाकसू द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार विरासत सही है, अब यदि वारिस प्रमाण पत्र गलत है तो अपीलार्थी स्वयं को उसे गलत सिद्ध करना होगा जिस बाबत अपीलार्थी के पास कोई भी साक्ष्य नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ठोस आधारों एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों पर रामदास के गोद जाना माना है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैम्प मौका रिपोर्ट

दिनांक 29.05.2017 ग्राम पंचायत करेडा खुर्द के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि समाज के रिति रिवाजों के अनुसार अपीलार्थी रामदास के गोद चला गया है, ऐसी स्थिति में उक्त वारिस प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को वारिस नही माना गया है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी के गोद चले जाने के पश्चात् अपीलार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में श्योपालदास चेला रामदास अंकित हो गया है, अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई जमीनों मे अपीलार्थी के नाम श्योपालदास चेला रामदास अंकित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन कया है कि अपीलार्थी स्वयं इस बात का समर्थन करता है कि वह रामदास की सेवा सुश्रवा करने व उसके लाभ स्नेह भाव व आत्मीयता के कारण रामदास जी की गदी पर अपीलार्थी को वारिस के रूप में बैठाया गया है तथा रामदास की जमीनों में विक्रय की राशि भी अपीलार्थी स्वयं अपने आप प्राप्त हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि अपीलार्थी स्वयं अपने आप को रामदास का वारिस होने का समर्थन करता है ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को वारिस नही मानकर कोई कानूनी भूल नही की अपितू सही निर्णय किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2006 में क्रेता का नाम श्योपाल दास पुत्र श्री रामदास स्वामी अंकित है तथा उक्त विक्रय पत्र भी श्योरामदास पुत्र श्री रामदास स्वामी के नाम से खरीदा गया है तथा अपीलार्थी स्वयं अपनी अपील में स्व. रामदास अविवाहित था और नागा साधू था जिसके मरने पर उसकी सेवा भावना व आदर–सत्कार कार्यो के बदले दादूपंथियों ने उसकी चादर अपीलार्थी को ओढ़ा दी कथन कर आ रहा है तो उपरोक्त तथ्यों से जाहिर होता है कि अपीलार्थी रामदास स्वामी के गोद जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

**(राजेश्वर सिंह)**
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।